उगमाराम बनाम बोदूराम वगैरह
मुकदमा नम्बर 0231 / 2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 0231 / 2023

प्रार्थीः–

उगमाराम पुत्र टोडाराम जाति जाट निवासी ग्राम केरपुरा तहसील नावां।

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. बोदूराम पुत्र नारायणराम
2. भंवरलाल पुत्र नारायणराम
3. सोहनराम पुत्र नारायणराम
4. भोलकी पत्नि नारायणराम (फौत)
   4 / 1 सन्तोष पुत्री नारायणराम
   4 / 2 गीता पुत्री नारायणराम
   4 / 3 बालादेवी पुत्री नारायणराम
   4 / 4 कमलादेवी पुत्री नारायणराम
   4 / 5 सुगनादेवी पुत्री नारायणराम
   4 / 6 पेफादेवी पुत्री नारायणराम
5. पन्नीदेवी पत्नि रामुराम
6. सुरेश पुत्र रामुराम
7. देवीलाल पुत्र रामुराम
   जाति जाट निवासीयान ग्राम भांवता तहसील नावां।
8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नावां तहसील नावां।

प्रार्थना पत्र बाबत :– खेत में आने जाने का रास्ता लेने
अन्तर्गत धारा 251ए उपधारा 2 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– श्री सुरेन्द्र सेवर अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 09.09.2023

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम भांवता पटवार हल्का भांवता तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1096 / 832 रकबा 0.0456 हैक्टर, खसरा नम्बर [illegible] / 823 रकबा 0.0632 हैक्टर, खसरा नम्बर 1097 / 822 रकबा 0.0212 हैक्टर कुल रकबा [illegible] हैक्टर भूमि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी उक्त अपनी भूमि में आने [illegible] के लिये रास्ता चाहता है। उक्त रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 की भूमि ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 380 रकबा [illegible].07 हैक्टर में से चाह गया है जो खसरा नम्बर 830 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 10 मीटर लम्बाई व 5 मीटर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:50:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

चौड़ाई का चाहा गया है उक्त रास्ता मुख्य सडक मार्ग खसरा नम्बर 887 मुख्य सडक मार्ग सुरेरा से कुचामन से लगेगा। उक्त चाहा गया रास्ता आवागमन का निकटतम रास्ता नहीं है। चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत में पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि में से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है। प्रार्थी की भूमि राजस्व ग्राम भांवता पटवार हल्का भांवता तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1096/832 रकबा 0.0456 हैक्टर, खसरा नम्बर 1098/823 रकबा 0.0632 हैक्टर, खसरा नम्बर 1097/822 रकबा 0.0212 हैक्टर कुल रकबा 0.13 हैक्टर भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 की भूमि ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 830 रकबा 0.07 हैक्टर में से पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 10 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई कुल 50 मीटर अर्थात् 0.0050 हैक्टर भूमि का रास्ता दिलवाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं भू.अ. निरीक्षक मीठड़ी से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसपर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 4 भोलकी का स्वर्गवास हो जाने से उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3, 4/1 ता 4/6, 5, 6, 7 के नोटिस अखबार दैनिक नवज्योति दिनांक 12 जुलाई 2023 में प्रकाशित करवाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 8 का तामील शुदा नोटिस प्राप्त। भू.अ. निरीक्षक मीठड़ी ने मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शे अनुसार प्रार्थी उगमाराम पुत्र टोडाराम जाति जाट ने ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 1096/832, 1098/823, 1097/822 में आने जाने हेतु ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 830 में से पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 10 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई के रास्ते की मांग की है जिसे नजरी नक्शे में ए से बी दर्शाया गया है जो सबसे नजदीकी रास्ता है। खसरा नम्बर 1096/832, 1098/823, 1097/822 के कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। अतः उक्त खसरान मे आवागमन हेतु मांगा गया प्रस्तावित रास्ता ही उपयुक्त रहेगा, प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 10 मीटर चौड़ाई 5 मीटर से कुल 50 वर्गमीटर अर्थात् 0.0050 हैक्टर भूमि बनती है।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 1096/832, 1098/823, 1097/822 कुल रकबा 0.13 हैक्टर भूमि में आवागमन करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की भूमि राजस्व ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 830 रकबा 0.07 हैक्टर में से पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 10 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई कुल 50 मीटर अर्थात् 0.0050 हैक्टर भूमि का रास्ता चाहते है। भू.अ. निरीक्षक मीठड़ी की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा राजस्व ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 830 रकबा 0.07 हैक्टर में से पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 10 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई कुल 50 मीटर अर्थात 0.0050 हैक्टर भूमि का चाहा गया रास्ता ही उपयुक्त है तथा सबसे नजदीकी रास्ता है। उक्त खसरान में आगवामन हेतु अन्य कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:50:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 1096/832, 1098/823, 1097/822 कुल रकबा 0.13 हैक्टर भूमि में आवागमन करने हेतु मौका रिपोर्ट में अंकित अनुसार राजस्व ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 830 रकवा 0.07 हैक्टर में से पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 10 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई कुल 50 मीटर अर्थात् 0.0050 हैक्टर भूमि का राजकीय कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार नावां को आदेशित किया जाता हैं कि उक्त रास्ते के एवज में प्रार्थी द्वारा नियमानुसार नवीनतम प्रचलित डीएलसी दर की दोगुनी राशि राजकोष में जमा करवाने पर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता अमलदरामद व नक्शे में तरमीम करें एवं उक्त राशि को अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 को उनके हक हिस्से अनुसार अदा करें। मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक 09.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:50:14 IST
Reason: SelfAttested